श्रीरंगम मंदिर: स्थापत्य, नगर और भूमि-संरक्षण

इतिहास एवं संस्कृति | समाचार संदर्भ: 18 अक्टूबर 2026 (अंतरिम आदेश की रिपोर्ट) | प्रकाशन: 25 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

श्रीरंगम के श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर को समर्पित भूमि से जुड़े पुराने दस्तावेज़ ने धरोहर और भूमि-अभिलेखों के संबंध को फिर चर्चा में रखा है। 18 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने **दस्तावेज़ संख्या 1646/1887 की अनुसूची में दर्ज संपत्तियों** से संबंधित दस्तावेज़ों के पंजीकरण पर अंतरिम रोक लगाई है। अनुसूची का अर्थ दस्तावेज़ के साथ दी गई संपत्तियों की सूची है।

रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर. सक्थिवेल की खंडपीठ ने ए. संपतकुमार की याचिका पर यह आदेश दिया। रोक श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली संयुक्त-तीन, मुसिरी और कुलिथलाई के उप-पंजीयकों से संबंधित है। इसे 5 नवंबर 2026 की अगली सुनवाई तक प्रभावी बताया गया है। **यह अंतरिम व्यवस्था है, संपत्ति के हर विवाद पर अंतिम फैसला नहीं।** यहाँ 18 अक्टूबर रिपोर्ट की तारीख है; इसे आदेश की स्वतंत्र रूप से सत्यापित तारीख नहीं माना गया है।

विवाद में क्या जाँचना है?

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ भूमि का हस्तांतरण या उससे संबंधित अन्य व्यवहार बंदोबस्ती की शर्तों के विपरीत हुआ हो सकता है। बंदोबस्ती से आशय यहाँ किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करने की व्यवस्था से है। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय ने पुराने दस्तावेज़ में सूचीबद्ध भूमि के मंदिर को पूर्ण समर्पण का उल्लेख देखा। लेकिन **कथित अनधिकृत हस्तांतरण का आरोप और उसका विधिक रूप से सिद्ध होना अलग बातें** हैं।

याचिका में मूल दस्तावेज़, राजस्व अभिलेख और पंजीकरण रिकॉर्ड का मिलान करके संपत्तियों की पहचान करने की माँग है। पंजीकरण रिकॉर्ड किसी दस्तावेज़ के दर्ज होने से जुड़ा है; राजस्व रिकॉर्ड भूमि की पहचान और संबंधित प्रविष्टियाँ समझने में मदद करता है। इस मामले की सीमा संबंधित अनुसूचित संपत्तियाँ हैं। इसे पूरे श्रीरंगम की हर जमीन के पंजीकरण पर रोक कहना गलत होगा।

मंदिर कहाँ और किसे समर्पित है?

> **स्थान:** तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट श्रीरंगम द्वीप पर, कावेरी और कोल्लिडम नदियों के बीच। कोल्लिडम को कॉलरून भी कहा जाता है।
>
> **आराध्य:** रंगनाथ, जो भगवान विष्णु का शयन रूप है।
>
> **परंपरा:** यह 108 वैष्णव दिव्य देशों में प्रमुख तीर्थ है। दिव्य देश वैष्णव भक्ति-परंपरा में विशेष स्थान रखने वाले विष्णु मंदिरों को कहते हैं।

द्रविड़ स्थापत्य की पहचान

लगभग **156 एकड़** में फैला परिसर द्रविड़ शैली का मंदिर-नगर है। इसके **सात प्राकार**, यानी परकोटों से बने घेरे, और **21 गोपुरम** हैं। गोपुरम मंदिर परिसर के प्रवेश पर बना ऊँचा, सजावटी द्वार-टावर होता है। इसे गर्भगृह के ऊपर बने विमान से अलग समझना चाहिए। गर्भगृह वह भीतरी कक्ष है जिसमें मुख्य देवता प्रतिष्ठित हैं।

मंदिर के आधिकारिक विवरण के अनुसार, दक्षिण का राजगोपुरम लगभग **236 फीट ऊँचा और 13 तल वाला** है। बड़ा प्रवेश-टावर और उसके भीतर क्रमशः आगे बढ़ते घेरे मंदिर के स्थानिक संगठन को समझाते हैं। ऊँचाई को लेकर सबसे ऊँचा होने की विभिन्न तुलनाओं के बजाय परीक्षा में स्थान, शैली और संरचना पर ध्यान देना अधिक उपयोगी है।

केवल मंदिर नहीं, मंदिर-नगर

बीच में: मुख्य देवता का गर्भगृह

↓

भीतरी पाँच घेरे: मंदिर की गतिविधियाँ और धार्मिक परिसर

↓

बाहरी दो घेरे: बसावट और दैनिक जीवन

आरेख: भारत द्वारा प्रस्तुत धरोहर-विवरण के आधार पर pcsmantra.com का मौलिक सांकेतिक आरेख; यह स्थल का मापानुसार मानचित्र नहीं है।

इस व्यवस्था में धार्मिक स्थल और नगर के बीच स्पष्ट अलगाव नहीं दिखता। पूजा, उत्सव, आवागमन और लोगों की दैनिक गतिविधियाँ एक ही विस्तृत परिसर से जुड़ती हैं। इसीलिए संरक्षण का अर्थ केवल मुख्य प्रतिमा या एक भवन की मरम्मत नहीं है। संबंधित रास्ते, मंडप, परकोटे और उपयोग की निरंतरता भी महत्त्वपूर्ण हैं।

कई शासक, कई निर्माण-परतें

जिला प्रशासन का विवरण चोल, चेर, पांड्य, होयसल, विजयनगर और मदुरै के नायकों के शासनकाल में हुए बदलावों का उल्लेख करता है। इसलिए आज के पूरे परिसर को किसी एक शासक या एक निर्माण-वर्ष की रचना मानना सही नहीं होगा। मंदिर लंबे समय में विकसित हुआ और उसमें विभिन्न कालों की संरचनाएँ जुड़ीं।

प्रसिद्ध सहस्र-स्तंभ मंडप विजयनगर काल से जुड़ा है। मंडप स्तंभों पर आधारित सभा या अनुष्ठान का कक्ष होता है। परिसर के शिलालेख दान, भूमि-सीमाओं, सिंचाई, कर और स्थानीय अर्थव्यवस्था के इतिहास के स्रोत हैं। इससे मंदिर-स्थापत्य का अध्ययन राजनीतिक इतिहास के साथ सामाजिक और आर्थिक इतिहास से भी जुड़ता है।

अन्य प्रकार के स्थापत्य को समझने के लिए प्राम्बनान के जीर्णोद्धार और सांस्कृतिक साझेदारी का उदाहरण उपयोगी है।

विश्व धरोहर की स्थिति में भेद

श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर का विवरण भारत ने **15 अप्रैल 2014 को यूनेस्को की अस्थायी सूची** के लिए प्रस्तुत किया था। अस्थायी सूची किसी देश द्वारा संभावित विश्व धरोहर स्थलों की पहचान का चरण है। **इस सूची में होना विश्व धरोहर सूची में अंतिम रूप से शामिल होना नहीं है।** मंदिर का महत्त्व बताने के लिए इन दोनों स्थितियों को मिलाना आवश्यक नहीं है।

संरक्षण और अभिलेख क्यों जुड़े हैं?

- **पहचान:** पुराने नामों, सीमाओं और नए सर्वे रिकॉर्ड का मिलान संपत्ति की सही पहचान में मदद करता है।
- **पारदर्शिता:** मूल दान-दस्तावेज़, बाद के लेन-देन और संबंधित रिकॉर्ड अलग-अलग देखने के बजाय साथ पढ़ना चाहिए।

- **जीवित धरोहर:** नियमित पूजा और बसावट वाले परिसर के संरक्षण में स्थानीय उपयोग को समझना जरूरी है। केवल पर्यटन संख्या से उसकी पूरी स्थिति नहीं समझी जा सकती।

आगे की राह

इस मामले में आगे की सुनवाई और अभिलेखों की जाँच से अधिक स्पष्टता मिलेगी। अभी अंतरिम रोक को अंतिम स्वामित्व-निर्णय या याचिका के प्रत्येक आरोप की पुष्टि नहीं मानना चाहिए। व्यापक सीख यह है कि धरोहर-संरक्षण में स्थापत्य की समझ और संपत्ति के प्रमाणित दस्तावेज़, दोनों की आवश्यकता होती है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1. श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कावेरी और कोल्लिडम के बीच श्रीरंगम द्वीप पर स्थित है।
2. इसके मंदिर-नगर में सात प्राकार और 21 गोपुरम हैं।
3. यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल होना विश्व धरोहर सूची में अंतिम चयन के बराबर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (a) केवल 1 और 2। पहले दो कथन सही हैं। अस्थायी सूची संभावित नामांकन का चरण है, अंतिम विश्व धरोहर चयन नहीं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

जीवित मंदिर-नगरों के संरक्षण में स्थापत्य, स्थानीय उपयोग और भूमि-अभिलेखों की भूमिका समझाइए। श्रीरंगम के उदाहरण से उत्तर दीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: कावेरी और कोल्लिडम के बीच स्थित श्रीरंगम को धार्मिक गतिविधियों तथा बसावट वाले जीवित मंदिर-नगर के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें।

मुख्य भाग में: सात प्राकार, 21 गोपुरम, भीतरी पाँच घेरों की मंदिर-गतिविधियाँ और बाहरी दो घेरों के दैनिक जीवन से स्थापत्य तथा स्थानीय उपयोग का संबंध समझाएँ। भूमि की पहचान के लिए मूल दान-दस्तावेज़, राजस्व अभिलेख और पंजीकरण रिकॉर्ड के मिलान का महत्व रखें। दस्तावेज़ संख्या 1646/1887 की अनुसूचित संपत्तियों से संबंधित रिपोर्टित अंतरिम रोक को अंतिम स्वामित्व-निर्णय न बताएँ। यूनेस्को की अस्थायी सूची और अंतिम विश्व धरोहर चयन में भेद बनाए रखें।

निष्कर्ष में: धरोहर-संरक्षण में भवनों के साथ रास्तों, मंडपों, परकोटों, स्थानीय उपयोग की निरंतरता और प्रमाणित संपत्ति-अभिलेखों को साथ देखने की आवश्यकता रखें।

स्रोत

- अंतरिम आदेश संबंधी समाचार रिपोर्ट, 18 अक्टूबर 2026 (आदेश की मूल प्रति का स्थानापन्न नहीं)
- तिरुचिरापल्ली जिला प्रशासन: श्रीरंगम मंदिर
- तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग: मंदिर का आधिकारिक विवरण
- विश्व धरोहर केंद्र: भारत द्वारा प्रस्तुत अस्थायी सूची का विवरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: 18 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने श्रीरंगम के श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर को समर्पित भूमि से जुड़े दस्तावेज़ संख्या 1646/1887 की अनुसूची में दर्ज संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़ों के पंजीकरण पर अंतरिम रोक लगाई है।

प्रश्न: मदुरै पीठ के अंतरिम आदेश की सीमा क्या है?

रोक श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली संयुक्त-तीन, मुसिरी और कुलिथलाई के उप-पंजीयकों से संबंधित है और 5 नवंबर 2026 की अगली सुनवाई तक प्रभावी बताई गई है। यह अंतरिम व्यवस्था है, संपत्ति के हर विवाद पर अंतिम फैसला नहीं। इसे पूरे श्रीरंगम की हर जमीन के पंजीकरण पर रोक कहना गलत होगा।

प्रश्न: याचिकाकर्ता ने क्या आरोप लगाया है?

रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर. सक्थिवेल की खंडपीठ ने ए. संपतकुमार की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ भूमि का हस्तांतरण या उससे संबंधित अन्य व्यवहार बंदोबस्ती की शर्तों के विपरीत हुआ हो सकता है। कथित अनधिकृत हस्तांतरण का आरोप और उसका विधिक रूप से सिद्ध होना अलग बातें हैं।

प्रश्न: श्रीरंगम का मंदिर कहाँ है और उसकी स्थापत्य पहचान क्या है?

मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट श्रीरंगम द्वीप पर, कावेरी और कोल्लिडम नदियों के बीच है, और इसके आराध्य रंगनाथ हैं। लगभग 156 एकड़ में फैला परिसर द्रविड़ शैली का मंदिर-नगर है, जिसमें सात प्राकार और 21 गोपुरम हैं। मंदिर के आधिकारिक विवरण के अनुसार दक्षिण का राजगोपुरम लगभग 236 फीट ऊँचा और 13 तल वाला है।